



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211 001

विज्ञप्ति-14 (47)

दिनांक 20.12.2016

विज्ञापन सं०-47 के अन्तर्गत विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर उद्यानिकी पदों के सापेक्ष कुल प्राप्त 204 आवेदन पत्रों के परीक्षण करने पर निम्नलिखित स्थिति पायी गयी-

1. लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह अभ्यर्थियों का विवरण-

(i). निम्न अभ्यर्थी जो उद्यानिकी विषय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 05 अगस्त, 2016 तक न तो नेट/सेट/स्लेट/परीक्षा उत्तीर्ण हैं और न ही पी-एच.डी./डी.फिल की उपाधि प्राप्त हैं, लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह पाये गये।

01 (479053752), 02 (479017021),

(कुल 02)

2. औपबन्धिक रूप से लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण-

(i) निम्न अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र कतिपय बिन्दुओं पर अपूर्ण होने पर इन्हें औपबन्धिक रूप से लिखित परीक्षा में भाग लेने हेतु इस शर्त के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाती है कि यदि इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड किया जाता है तो साक्षात्कार के समय इन अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त यू.जी.सी. द्वारा दी गयी न्यूनतम अर्हता धारित करने पर ही इनको साक्षात्कार में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

01 (479006571)

(कुल 01)

3. शेष अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अर्ह हैं।


(संजय सिंह)

सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रेषक,

सचिव

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211001



फोन : 2423779, 2622160

फैक्स : (0532) 2624569

ई-मेल: secretary@uphesc.org

वेबसाइट : www.uphesc.org

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०

10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: उ०शि०आयोग/711 /2016-17


दिनांक : 20 दिसम्बर, 2016

विषय: विज्ञापन सं०-47 में विज्ञापित असिस्टेन्ट प्रोफेसर उद्यानिकी विषय के प्रति ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों में यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित न करने वाले अनर्ह अभ्यर्थियों एवं औपबन्धिक रूप से लिखित परीक्षा हेतु अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विज्ञापन सं०-47 के अन्तर्गत विज्ञापित असिस्टेन्ट प्रोफेसर उद्यानिकी विषय से सम्बन्धित संलग्न विज्ञप्ति-14 (47) को आयोग के पोर्टल www.uphesconline.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(संजय सिंह)

सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी

